19 नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

नई पेंशन योजना (NPS) का परिप्रेक्ष्य (Perspective)

पेंशन सम्बन्धी सुधारों की पहल के रूप में भारत सरकार ने 'लाभ पेंशन योजना' के स्थान पर 'नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' को दिनांक 01 जनवरी, 2004 से अपनी नयी भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य बना दिया है।

उ0प्र0 सरकार द्वारा भी अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों तथा भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी नई नीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए **अधिसूचना संख्याः सा–3–379/दस–2005–301(9)/ 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005** द्वारा **दिनांक 01 अप्रैल, 2005 या उसके बाद** राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कार्मिकों पर 'लाभ पेंशन योजना' के स्थान पर **'नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS)'** को लागू करने का निर्णय लिया गया।

उक्त अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 में अवधारित NPS–संरचना सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं–

- अंशदान पेंशन योजना राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, जिनमें राज्य कार्मिकों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और इनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, समस्त नई भर्तियों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि लाभ पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कार्मिक जिनकी सेवा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो भी लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।
- नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान अभिदाता द्वारा किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्थानों को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें।
- अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर–I खाता होगा। सेवावधि में टियर–I खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- नव प्रवेशक, जो नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे उनको परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगें।
- चूंकि नये भर्तीशुदा सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होगें अतः वे पेंशन टियर–I खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक टियर–II खाता भी रख सकते हैं तथापि सेवायोजक टियर–II खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर–II खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन टियर–I खाते के लिए है। कार्मिक अपने टियर–II खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।
- कोई कार्मिक अपनी सेवानिवृत्ति के समय नवीन पेंशन योजना के टियर–I खाते को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय सम्बन्धित कार्मिक को अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक पालिसी क्रय कर उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत अंश का निवेश करना होगा जिससे कि सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा अपने ऊपर आश्रित माता–पिता तथा अपने विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष 60 प्रतिशत पेंशन सम्पत्ति कार्मिक द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर–I खाते को छोड़ने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपनी पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत अंश का अनिवार्य निवेश वार्षिकी में करना होगा।

* ऐसे अनेक 'पेंशन निधि प्रबन्धक' होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। 'पेंशन निधि प्रबन्धक' तथा 'अभिलेखपाल' संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य–कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कार्मिक निवेश के विकल्पों को चुन सके।

उक्त अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के क्रम में दूसरी अधिसूचना संख्या– सा–3–469/दस–2005–301(9)–03, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 द्वारा 'उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स' जारी किए गए जिसमें पूर्व में जारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में नियम–2 के उप नियम–(2) के पश्चात निम्नलिखित नया उप नियम (3) बढ़ा दिया गया अर्थात–

"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और पदों पर चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।"

इसके उपरान्त अधिसूचना सं0: सा–3–470/दस–2005–301(9)–03 दिनांक 07 अप्रैल, 2005 द्वारा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2005 जारी की गयी जिसमें सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम–4 में निम्नवत संशोधन किया गया–

"कोई सरकारी सेवक जो दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करता है, निधि में अभिदान नहीं करेगा।"

नई पेंशन योजना/प्रणाली (NPS) की विशिष्ट शब्दावली (Terminology)

AIS	All India Services (अखिल भारतीय सेवाएँ)
BOI	Bank of India ("Trustee Bank")
CRA	Central Record-keeping Agency (केन्द्रीय अभिलेखपाल/लेखा अनुरक्षक)
DDO	Drawing & Disbursing Officer (आहरण–वितरण अधिकारी)
DOP	Director of Pension (निदेशक, पेंशन, उ0प्र0)
DTO	District Treasury Officer (मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी)
I-PIN	Internet- Personal Identification Number
IRDA	Insurance Regulatory & Development Authority (बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण)
IVRS	Interactive Voice Response System
LIC	Life Insurance Corporation of India (भारतीय जीवन बीमा निगम)
LPC	Last Pay Certificate (अन्तिम वेतन प्रमाणक)
NAV	Net Asset Value
NEFT	National Electronic Fund Transfer
NPS	New Pension Scheme/ System (नई पेंशन योजना/प्रणाली)
NPSCAN	New Pension System Contributions Accounting Network
NSDL	National Securities Depository Limited ("CRA")
PFM	Pension Fund Manager (पेंशन निधि प्रबन्धक)
PFRDA	पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण
PLR	Prime Lending Rate
PRAN	Permanent Retirement Account Number (स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या)
RTGS	Real Time Gross Settlement
SBI	State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक)
SCF	Subscriber Contribution File (अभिदाता अंशदान फाइल)
T-PIN	Telephonic- Personal Identification Number
UTI	Unit Trust of India (भारतीय यूनिट ट्रस्ट)

NPS–संरचना के मुख्य अवयव

शासनादेश संख्याः सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा अन्तरिम व्यवस्था के तहत नयी पेंशन योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार की सेवा में आये कार्मिकों हेतु आरम्भ तो हो गया परन्तु कार्मिकों/राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि के लेखों के रख–रखाव तथा उक्त धनराशियों के विनियोजन के बारे में केन्द्रीय लेखा अनुरक्षक, ट्रस्टी बैंक एवं निधि प्रबन्धक की नियुक्तियाँ किया जाना विचाराधीन था। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हतु अध्यादेश संख्या–8, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (PFRDA) का अन्तरिम रूप से गठन किया था जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रणाधीन है। पुनः असाधारण गजट संख्या–406, दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के माध्यम से गठित पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु 'नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड' (NSDL) को 'केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षक' (CRA), 'बैंक आफ इन्डिया' (BOI) को ट्रस्टी बैंक तथा 'भारतीय स्टेट बैंक' (SBI), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को पेंशन निधि प्रबन्धक (Pension Fund Manager) नियुक्त किया है। इन समस्त अवयवों के पर्यवेक्षण हेतु PFRDA द्वारा NPS-Trust का भी गठन किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट संख्याः सा–3–313/दस–2009–301(9)–2003, दिनांक 15 मई 2009 द्वारा भारत सरकार की तर्ज पर राज्यपाल द्वारा नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु PFRDA के माध्यम से NSDL को CRA, 'बैंक आफ इण्डिया' को ट्रस्टी बैंक तथा SBI, UTI एवं LIC को पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्तवत् गठित ट्रस्टी बैंक, पेंशन निधि प्रबन्धक तथा CRA के मुख्य प्रकार्य निम्नवत् उल्लिखित किए गए–

ट्रस्टी बैंक (Trustee Bank) के प्रकार्य :–

- नोडल आफिस से पेंशन–निधि प्राप्त करना।
- CRA के निर्देश पर पेंशन निधि प्रबन्धकों को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।

- आहरित पेंशन निधि की धनराशि CRA के निर्देश पर मान्यता प्राप्त वार्षिकी सेवा प्रदाता (Annuity Service Providers) को उपलब्ध कराना।
- अभिदाता को भुगतान किये जाने हेतु आहरण खाते (Withdrawal Accounts) में पेंशन निधि की धनराशि को स्थानान्तरित करना।
- पेंशन निधि के लेखे के मिलान का विवरण दर्ज करना।

पेंशन निधि प्रबन्धक (Pension Fund Manager) के प्रकार्य :–

- PFRDA से विभिन्न योजनाओं (Schemes) के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना तथा उनका पंजीकरण CRA से कराना।
- अभिदाता को पेंशन निधि योजना (PFS) के सम्बन्ध में प्रस्ताव देना।
- ट्रस्टी बैंक को/से पेंशन निधि की धनराशि को जमा करना/प्राप्त करना।
- अभिदाता की पेंशन निधि को अभिदाता को प्रस्तावित योजना में जमा कर निधि का प्रबन्धन करना।
- दैनिक आधार पर नेट ऐसेट वैल्यू (NAV) की सूचना उपलब्ध कराना।
- PFRDA को प्रगति आख्या प्रेषित करना।

केन्द्रीय लेखा अनुरक्षक (Central Recordkeeping Agency-CRA) के प्रकार्य :–

उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त असाधारण गजट दिनांक 15 मई, 2009 द्वारा बतौर CRA, NSDL के मुख्य कार्य निम्नवत् अवधारित किए गए थे–

- अभिदाता (Subscriber) एवं कार्यदायी संस्थाओं का CRA सिस्टम में पंजीकरण करना।
- अभिदाता को एकल संख्या आवंटित करना ।
- अभिदाता के अभिदान का लेखा जोखा रखना ।
- सेवायोजक के अंशदान का लेखा जोखा रखना।
- अभिदाता को खाते के सम्बन्ध में लेखा पर्ची जारी करना ।
- अभिदाता एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेवायें प्रदान करना।
- अभिदाता की समस्याओं का समाधान करना।
- PFRDA को सामयिक रिपोर्ट देना।

अब NSDL और राज्य सरकार के बीच दिनांक 12 अगस्त, 2011 को CRA–अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त NSDL द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–3–1065/दस–301(9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नवत् है–

- अभिदाता (Subscriber) एवं कार्यदायी संस्थाओं का सी0आर0ए0 सिस्टम में पंजीकरण करना।
- प्रत्येक अभिदाता को एकल PRAN (Permanent Retirement Account Number) आवंटित करना।
- अभिदाता डाटाबेस का सृजन।
- पेंशन अंशदान से संबंधित सूचनाओं का संकलन।
- योजनाओं तथा पेंशन निधियों के आधार पर निवेश वरीयता (Investment Preference) का वर्गीकरण एवं संकलन।
- ट्रस्टी लेखे से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्ट का पेंशन फण्ड कन्ट्रीब्यूशन इन्फारमेशन रिपोर्ट के साथ मिलान एवं समाशोधन।
- त्रुटियों एवं विसंगतियों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना।
- अभिदाताओं की शिकायतों का संकलन।
- संबंधित सर्विस प्रोवाइडर से शिकायतों का समाधान कराना।
- अभिदाता/निदेशक की शिकायतों से संबंधित ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार करना।
- प्रत्येक पेंशन निधि द्वारा विभिन्न योजनाओं में निवेश की रिपोर्ट तैयार करना तथा आवश्यक धनराशि–प्रेषण हेतु ट्रस्टी बैंक को निर्देश देना।

- निष्कासन की धनराशि अभिदाता के खाते में प्रेषित किये जाने तथा अवशेष धनराशि वार्षिकी योजना (Annuity Scheme) के सापेक्ष वार्षिकी–प्रदाता (Annuity Provider) के खाते में प्रेषित किये जाने हेतु ट्रस्टी–बैंक को निर्देश देना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार शर्तों पर ऐसी अन्य सेवायें प्रदान करना जिन्हें राज्य सरकार NSDL से प्राप्त करना चाहे।

NSDL को सेवा–शुल्क का भुगतान :–

NSDL द्वारा उक्तवर्णित सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपर्युक्त CRA–अनुबन्ध के अनुच्छेद 5 एवं 6 के अन्तर्गत निम्नवत् शुल्क (Fee) भी चार्ज किए जाने हैं–

सेवा जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जाना है	सेवा शुल्क (₹)
1– परमानेन्ट रिटायरमन्ट खातों की संख्या 10 लाख तक रहने पर	
Permanent Retirement Account (PRA) खोलने हेतु शुल्क	50
PRA के रख–रखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क	350
प्रति ट्रान्जेक्शन शुल्क (Fee per transaction)	10
2- परमानेन्ट रिटायरमन्ट खातों की संख्या 10 लाख से अधिक परन्तु 30 लाख तक रहने पर	
Permanent Retirement Account (PRA) खोलने हेतु शुल्क	50
PRA के रख–रखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क	280
प्रति ट्रान्जेक्शन शुल्क (Fee per transaction)	6
3– परमानेन्ट रिटायरमेन्ट खातों की संख्या 30 लाख से अधिक होने पर	
Permanent Retirement Account (PRA) खोलने हेतु शुल्क	50
PRA के रख–रखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क	250
प्रति ट्रान्जेक्शन शुल्क (Fee per transaction)	4

उपरोक्त निर्धारित सेवा–शुल्क पर सेवा–कर तथा अन्य लागू कर अतिरिक्त देय होंगे। उपर्युक्त तालिका में वर्णित ट्रान्जेक्शन का तात्पर्य निम्नलिखित सम्व्यवहारों से है–

- योजना बदलाव सम्बन्धी प्रार्थना (Scheme Switching Request) तथा योजना–वरीयता सम्बन्धी बदलाव (Scheme Preference Change) को भिन्न–भिन्न ट्रान्जेक्शन माना जायेगा।
- माह के अंशदान का वितरण अधिकतम चार योजनाओं (Schemes) के मध्य किये जाने को एक ट्रान्जेक्शन तथा चार से अधिक एवं आठ योजनाओं तक अंशदान के वितरण को दो ट्रान्जेक्शन माना जाना है। स्कीमों की संख्या के अनुसार ट्रान्जेक्शन की गणना इसी क्रमानुसार की जानी है।

सी0आर0ए0 अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार यदि NSDL द्वारा अतिरिक्त सेवायें प्रदान की जाती हैं और इन सेवाओं हेतु यदि NSDL द्वारा अतिरिक्त शुल्क चार्ज किया जाता है तो ऐसी अतिरिक्त सेवायें राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही प्रदान की जानी है।

नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों (अभिदाता) द्वारा CRA-सिस्टम में आई–पिन (I-PIN) को पुनः सेट (Re-Set) किये जाने हेतु तथा IVRS (Interactive Voice Response System) प्रणाली के माध्यम से अभिदाताओं द्वारा टी–पिन (T-PIN) को पुनः सेट किये जाने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। परन्तु यदि उक्त आई–पिन/टी–पिन को उसी भाँति सृजित एवं डिस्पैच किये जाने की आवश्यकता होती है– जैसी अभिदाता का खाता खोले जाने के समय हुई थी तो PFRDA तथा NSDL के मध्य आपसी सहमति से निर्धारित प्रशासनिक व्यय एवं पोस्टल व्यय राज्य सरकार द्वारा देय होंगे। इसी प्रकार नये PRAN के कार्ड के सृजन एवं डिस्पैच हेतु भी PFRDA द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर NSDL को भुगतान देय होगा।

NSDL को सेवा–शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया :–

NSDL द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं हेतु शुल्क के भुगतान हेतु त्रैमासिक आधार पर बिल, निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने हैं।

निदेशक, पेंशन को उक्त बिल NSDL से प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर बिल में दर्शाये गये विभिन्न मदों हेतु दिखाये गये ट्रान्जेक्शन का मिलान कोषागारों से प्राप्त रिपोर्ट से करना है। दोनों में भिन्नता की स्थिति में निदेशक, पेंशन द्वारा भिन्नता का विवरण तत्काल ई–मेल/फैक्स द्वारा NSDL को प्रेषित किया जाना है। यदि NSDL द्वारा उक्त भिन्नता का समाधान एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जाता है तो अगले दो सप्ताहों के अन्दर निदेशक, पेंशन द्वारा सम्बन्धित बिल के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। यदि निर्धारित अवधि में भिन्नता का समाधान नहीं हो पाता है और भुगतान में विलम्ब सम्भावित हो तो NSDL के बिल का भुगतान इस शर्त के साथ किया जाना होगा कि अगले बिल में यथावश्यक समायोजन कर लिया जायेगा। अगला बिल प्राप्त होने के पूर्व तीन माह की अवधि में भिन्नता का समाधान अवश्य करा लिया जाना होगा।

बिल का भुगतान बिल प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की अवधि में निदेशक, पेंशन द्वारा किया जाना है। यदि NSDL को निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो CRA–अनुबन्ध के अनुच्छेद 6.5 के अनुसार विलम्ब की अवधि के लिये NSDL राज्य सरकार से भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेन्डिंग रेट (PLR) से 2•5 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान पाने का हकदार होगा।

राज्य सरकार की सेवा में तैनात नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु व्यवस्था एवं प्रक्रिया

राज्य सरकार की सेवा में तैनात नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–25014/14/2001–AIS(ii) दिनांक 08 सितम्बर, 2009 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरूप उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– सा–3–1066/दस–2011–301 (9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा NPS–संरचना, CRA सिस्टम में पंजीकरण, अंशदान प्रेषण आदि के संबंध में व्यवस्था एवं प्रक्रियाएँ निम्नवत् हैं–

NPS–संरचना :– अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना में राज्य सरकार के कार्मिकों की तरह दो टियर अर्थात टियर–I तथा टियर–II है।

टियर–I : दिनांक 01 जनवरी, 2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा टियर–I में अनिवार्यतः अंशदान किया जायेगा। उक्त अनिवार्य अंशदान (निवेश से प्राप्त आय सहित) अनिष्कासनीय पेंशन खाते टियर–I में जमा होगी। टियर–I में अभिदाता द्वारा अनिवार्य अंशदान प्रतिमाह **बैन्ड वेतन, ग्रेड वेतन एवं मंहगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत** के बराबर किया जाना है। राज्य सरकार /सेवायोजक द्वारा समतुल्य अंशदान किया जायेगा।

अभिदाता द्वारा अधिवर्षता आयु (जो कि सम्प्रति 60 वर्ष है) पर अथवा उसके उपरान्त टियर–I से निकासी हो सकेगी। अधिवर्षता पर निकासी के समय यह आवश्यक होगा कि अभिदाता द्वारा टियर–I में संचित निधि से 40 प्रतिशत की धनराशि का निवेश बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा नियंत्रित किसी जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिकी (Annuity) का क्रय करने में किया जाये जिससे कि अभिदाता तथा उस पर आश्रित पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो), माता पिता के जीवनकाल के लिए पेंशन प्राप्त हो सके। यदि किसी अभिदाता द्वारा अधिवर्षता के पूर्व नई पेंशन योजना से निकासी (exit) की जाती है तो उसके पेंशन लेखे (टियर–I) में संचित राशि के 80 प्रतिशत धनराशि का अनिवार्य रूप से वार्षिकीकरण (Annuitization) किया जाना है। टियर–I में उपलब्ध शेष धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

नई पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि में सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि उक्त किसी अधिकारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधि हेतु कटौतियाँ की गयी हों तो उन कटौतियों की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी को वापस किया जाना है।

टियर–II : नई पेंशन योजना से आच्छादित उक्त अधिकारियों हेतु सामान्य भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध नही होने की स्थिति में टियर–II की व्यवस्था की गयी है। जिसमें उनका अंशदान वैकल्पिक होगा तथा इसे टियर–I से इतर खाते में रखा जायेगा। उक्त टियर–II खाते में राज्य सरकार द्वारा न तो कोई अंशदान और न ही कोई प्रक्रियागत सहयोग किया जायेगा। टियर–II में से धनराशि का निष्कासन सम्बन्धित अधिकारी (अभिदाता) के विकल्प पर अनुमन्य होगा।

जहाँ तक सामूहिक बीमा योजना का प्रश्न है इस हेतु कटौतियाँ पूर्व की तरह की जाती रहेंगी।

पुरानी लाभ पेंशन योजना से आच्छादित प्रादेशिक सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नति/चयन अखिल भारतीय सेवाओं में हो जाने पर वे पुरानी लाभ पेंशन योजना से ही आच्छादित रहेंगे।

NPS–संरचना के मुख्य अवयव (Entities) :–

नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों हेतु NPS–संरचना के मुख्य अवयवों के रूप में उनकी पेंशन निधियों का प्रबन्धन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रबन्धकों (Pension Fund Managers) द्वारा किया जाना है तथा सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षक (CRA) के रूप में NSDL द्वारा तथा ट्रस्टी बैंक का कार्य बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया जाना है।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों हेतु नई पेंशन योजना सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों हेतु निदेशक, पेंशन नोडल अधिकारी हैं।

NSDL के सिस्टम में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों (अभिदाताओं) का पंजीकरण :–

दिनांक 01 जनवरी, 2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त समस्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जो नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– सा–3–1066/दस–2011–301 (9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के अनुलग्नक–1 पर पंजीकरण प्रपत्र भरेंगे। इस सम्बन्ध में जिला कोषागार/भुगतान कार्यालयों को उक्त अधिकारियों के पंजीकरण प्रपत्र भरवाकर निदेशक, पेंशन को प्रेषित करना है। निदेशक, पेंशन NSDL के NPSCAN में भुगतान एवं लेखाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

निदेशक, पेंशन द्वारा उपरोक्त प्राप्त पंजीकरण प्रपत्रों की जाँच कर NSDL को प्रेषित किये जाने हैं। NSDL द्वारा इन प्रपत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कर किट्स, जिसमें PRAN आदि होगा, निदेशक, पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे।

अंशदान की कटौती तथा तत्सम्बन्धी प्रेषण

जिस माह में अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी सेवा में प्रवेश करता है उसके अगले माह के वेतन से **बैन्ड वेतन, ग्रेड वेतन एवं मंहगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत** के बराबर धनराशि अभिदाता अंशदान के रूप में टियर–I में अनिवार्य रूप से जमा होनी है। सेवा में प्रवेश के माह हेतु उक्त कटौती नहीं की जानी है। वेतन से मासिक अंशदान की कटौती कोषाधिकारियों/इरला चेक अनुभाग/सम्बन्धित भुगतान कार्यालयों द्वारा की जानी है तथा उक्त कटौतियों का विवरण कोषाधिकारियों/भुगतान कार्यालयों द्वारा निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाना है।

दिनांक 01 जनवरी, 2004 को या उसके उपरान्त नई पेंशन योजना से आच्छादित नवप्रवेशकों, जिनके अंशदान की कटौती अभी प्रारम्भ नहीं हुई है, के प्रकरणों में दिनांक 01 जनवरी, 2004 अथवा सेवा में प्रवेश की तिथि से अंशदान की वसूली माहवार, वर्तमान माह के अंशदान के साथ की जानी है।

यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की वसूली किश्तों में किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियोक्ता/सेवायोजक अंशदान की किस्तें अभिदाता के अभिदान से अधिक न हों।

निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 द्वारा अभिदाता अंशदान फाइल तैयार कर CRA सिस्टम पर अपलोड की जायेगी। समस्त अभिदाताओं के अंशदान का कोषागारों/भुगतान कार्यालयों से प्राप्त विवरण निदेशक, पेंशन द्वारा संकलित किया जाना है। नियोक्ता/सेवायोजक अंशदान से सम्बन्धित विवरण भी निदेशक, पेंशन द्वारा तैयार किया जाना है। कोषागारों/भुगतान कार्यालयों से अंशदान कटौती विवरण/सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त निदेशक, पेंशन द्वारा NSDL के NPSCAN में अभिदाता एवं राज्य सरकार/सेवायोजक के अंशदान से सम्बन्धित आँकड़े अपलोड किये जायेंगे। अपलोडिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त ट्रांजेक्शन ID प्राप्त होगी। निदेशक पेंशन, अभिदाता एवं राज्य सरकार/सेवायोजक के अभिदान की संहत धनराशि सम्बन्धित लेखाशीर्षकों से आहरित कर, ट्रस्टी बैंक (बैंक आफ इंडिया) के पक्ष में **ड्राफ्ट/RTGS/ NEFT** द्वारा प्रेषित करेंगे।

अभिदाता के वेतन से की जाने वाली पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि, लेखाशीर्षक "8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान टियर–I" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जानी है।

राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि लेखाशीर्षक "2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान–03–राज्य सरकार का अंशदान–01–

राजकीय कर्मचारी टियर–I" से आहरित कर लेखाशीर्षक "8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना– 02–राज्य सरकार का अंशदान टियर–I" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जानी है। ट्रस्टी बैंक को भुगतान हेतु उपरोक्त लेखाशीर्षक–8342 के संगत विस्तृत शीर्षक से अभिदाता अंशदान एवं राज्य सरकार के अंशदान का आहरण निदेशक, पेंशन द्वारा किया जाना है।

टियर–II में मात्र अभिदाता के अंशदान की धनराशि लेखाशीर्षक "8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान टियर–II" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जानी है।

अभिदाताओं एवं राज्य सरकार के अंशदान के एरियर की वसूली एवं ट्रस्टी बैंक को धनराशियों का हस्तांतरण निश्चित समयावधि के अन्दर किया जाना है। यदि अंशदान की वसूली पूर्व में कर पृथक रूप से किसी लेखाशीर्षक में जमा की गयी हो तो उक्त को तत्काल आहरित कर उसका प्रेषण ट्रस्टी बैंक को किया जाना है।

यदि ट्रस्टी बैंक को अभिदाता एवं राज्य सरकार के अंशदान की संहत धनराशि 'ड्राफ्ट' के माध्यम से प्रेषित की जा रही है तो उक्त ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर निदेशक, पेंशन की पंजीकरण संख्या, वेतन भुगतान का माह तथा ट्रांजेक्शन ID अंकित किये जाने हैं। इस विवरण का उल्लेख सम्बन्धित अग्रसारण पत्र में भी किया जाना है। यदि उक्त प्रेषण RTGS/NEFT द्वारा किया जाता है तो इस हेतु बैंकर को प्रस्तुत आवेदन पत्र के अभ्युक्ति कालम में उपरोक्त विवरण दिया जाना है।

स्थानान्तरण के समय अन्तिम वेतन प्रमाणक (LPC) में अंशदान कटौती का उल्लेख

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, जो कि नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं, का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने अथवा उनके केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की दशा में कोषाधिकारियों/भुगतान कार्यालयों द्वारा अभिदाताओं के अन्तिम वेतन प्रमाणक में उनके PRAN तथा जिस माह तक अंशदान की वसूली की गयी हो, का विवरण अंकित किया जाना है।

सूचनाओं एवं पंजियों का रख–रखाव

राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जो कि नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–25014/14/2001–AIS(II), दिनांक 08 सितम्बर, 2009 के अनुलग्नकों जो कि उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– सा–3–1066/दस–2011–301 (9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के साथ भी संलग्न हैं, में दिये गये प्रारूपों पर विभिन्न सूचनाओं एवं पंजियों का रख–रखाव निदेशक, पेंशन, उ०प्र० एवं कोषाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु नई पेंशन योजना : व्यवस्था एवं प्रक्रिया

राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्तरिम व्यवस्था के तहत उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या– सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 निर्गत किया गया। इस कार्यालय ज्ञाप के कतिपय बिन्दुओं में शासनादेश संख्या– सा–3–1454/दस–2008–301(9)/2003, दिनांक 28 नवम्बर, 2008 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती, राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा कार्मिकों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि पर सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर से ब्याज के भुगतान तथा कार्मिकों का पेंशन खाता खोलने एवं उसे अद्यावधिक रखने हेतु निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था।

नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा NSDL एवं NPS–ट्रस्ट के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनुबन्ध निष्पादित हो जाने के अनन्तर उपरोक्त वर्णित अन्तरिम व्यवस्था को समाप्त करते हुए **NPS–संरचना के अनुसार नयी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या सा–3–1067/दस–2011/301(9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा लागू किया गया है। उक्त के तात्कालिक प्रभाव से लागू हो जाने के उपरान्त नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में अब वस्तुस्थिति निम्नवत् है–**

नई पेंशन योजना की पात्रता

दिनांक 01 अप्रैल, 2005 या उसके पश्चात राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कार्मिकों पर यह नई पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों द्वारा टियर–I में अनिवार्यतः

अंशदान किया जायेगा जो कि प्रतिमाह बैन्ड वेतन, ग्रेड वेतन एवं मंहगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत (निकटतम रुपए में पूर्णांकित) के बराबर होगा। इस अंशदान की कटौती सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागारों/अन्य भुगतान कार्यालयों द्वारा कार्मिक के वेतन से की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान दिया जायेगा। इन कार्मिकों पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू नहीं होने के कारण इनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी और यदि किसी कार्मिक के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के लिए कटौतियाँ की गयी हों तो कटौतियों की धनराशि सम्बन्धित कार्मिक को ब्याज सहित वापस कर दी जायेंगी। उक्त हेतु टियर–II में अंशदान किया जायेगा जोकि पूर्णतः वैकल्पिक होगा। टियर–II में किये जाने वाले अंशदान एक अलग खाते में रखे जायेंगे जिसमें से धनराशि का निष्कासन सम्बन्धित कर्मचारी के विकल्प पर अनुमन्य होगा। टियर–II में राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान नहीं किया जायेगा।

यद्यपि ऐसे सभी कार्मिक जिन्होने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कार्मिकों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता था, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशन युक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे। **(शासनादेश संख्या–सा–3–1671/दस–2010–301(9)/ 2009 टी0सी0 दिनांक 16 सितम्बर, 2010)**

नई पेंशन प्रणाली में पंजीकरण (शासनादेश संख्या सा–3–1067/दस–2011/301(9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011)

नई पेंशन योजना में विभिन्न प्राधिकारियों एवं अभिदाताओं के पंजीकरण की व्यवस्था निम्नवत् है–

- **विभिन्न प्राधिकारियों का NSDL में पंजीकरण–** राज्य सरकार की ओर से नई पेंशन प्रणाली के अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी के रूप में निदेशक पेंशन, उ0प्र0 का केन्द्रीय लेखा अनुरक्षक के तौर पर नियुक्त NSDL में पंजीकरण (**प्रपत्र N-1** के माध्यम से) उक्त शासनादेश में उल्लिखित है। निदेशक पेंशन, उ0प्र0 नोडल अधिकारी के रूप में नई पेंशन योजना को क्रियाशील किये जाने हेतु NSDL से यथावश्यकता सम्पर्क में रहेंगे।
- नई पेंशन योजना के अभिदाताओं की ओर से दैनन्दिन कार्यवाहियों के निष्पादन हेतु जनपद कोषागारों का **प्रपत्र N-2** के माध्यम से NSDL में पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था है। उक्त प्रपत्र की एक प्रति निदेशक पेंशन, उ0प्र0 तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित कोषागार में सुरक्षित रखी जानी है।
- नई पेंशन योजना के अभिदाताओं से सम्बन्धित विवरणों को संकलित करने तथा उन्हें NSDL को प्रेषित करने हेतु आहरण–वितरण अधिकारियों का पंजीकरण सम्बन्धित कोषाधिकारियों के माध्यम से NSDL में किया जाना है। किसी जनपद के समस्त आहरण–वितरण अधिकारी **प्रपत्र N-3** में अपेक्षित विवरण पूर्ण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जनपद कोषागार को तीन प्रतियों में प्रेषित करेंगे। जनपद कोषागार द्वारा उक्त **प्रपत्र N-3** की एक प्रति NSDL तथा एक प्रति निदेशक पेंशन, उ0प्र0 को प्रेषित की जानी है। एक प्रति कोषागार में सुरक्षित रखी जानी है।
- **कार्मिक (अभिदाता) का NSDL में पंजीकरण :** नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण कराये जाने हेतु **प्रपत्र S-1** में आवेदन भर कर NSDL को प्रेषित किया जाना है। किसी अधिष्ठान में नई पेंशन योजना से आच्छादित समस्त कार्मिकों के आवेदन, **प्रपत्र S-1** सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में जनपद कोषागार को प्रेषित करते हुये एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखी जानी है। जनपद कोषागार द्वारा उक्त आवेदन पत्र की एक प्रति सीधे NSDL को तथा एक प्रति कोषागार में आहरण–वितरण अधिकारीवार गार्ड फाइल में रखी जानी है।

NSDL द्वारा कार्मिकों को PRAN (Permanent Retirement Account Number) आवंटित करते समय उक्त की एक प्रति सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। किसी कार्मिक को आवंटित PRAN उसकी सेवापर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा।

किसी माह में खोले गये नये PRANs की आहरण–वितरण अधिकारीवार सूची तैयार कर कोषागारों द्वारा अगले माह की 10वीं तारीख तक निदेशक पेंशन, उ0प्र0 को भेज दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि अभिदाताओं के पंजीकरण हो जाने तक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार पेंशन अंशदान की कटौती की जाती रहेगी।

NPS-संरचना में अंशदान सम्बन्धी विवरण एवं धनराशियों का सम्प्रेषण :

NPS–संरचना के अन्तर्गत कार्मिक (अभिदाता) एक नियोक्ता/सेवायोजक के अंशदान को केन्द्रीय लेखा अनुरक्षक (NSDL) के सिस्टम में अपलोड करने हेतु प्रथम चरण में अर्द्धकेन्द्रीकृत माडल को अंगीकृत किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कोषागार द्वारा अभिदाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान कटौतियों की 'अभिदाता अंशदान फाइल' (Subscriber Contribution File) तैयार कर NPSCAN (New Pension System Contributions Accounting Network) नामक केन्द्रीय प्रणाली में अपलोड की जानी है।

'अभिदाता अंशदान फाइल' (SCF) अपलोड हो जाने के उपरान्त, माह में पारित समस्त वेतन बिलों से की गयी अंशदान की कटौती का विवरण प्रत्येक कोषागार द्वारा आगामी माह की 10वीं तारीख तक निदेशक पेंशन, उ0प्र0 को ई–मेल द्वारा एवं हार्ड कापी पर प्रेषित किया जाना है।

निदेशक, पेंशन को यह सुनिश्चित करना है कि कोषागारों द्वारा NPSCAN में जो विवरण अपलोड किया गया है उसमें तथा कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित इनपुट/सूचना में अंशदान की राशियों में भिन्नता नहीं है। कोषागारों से प्राप्त होने वाली सूचना की जाँच हेतु कोषागारवार अंशदान की कुल धनराशि, कार्मिकों की कुल संख्या तथा आहरण–वितरण अधिकारियों की कुल संख्या का विवरण, निदेशक, पेंशन द्वारा NSDL से प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार धनराशि के शत–प्रतिशत मिलान हो जाने के उपरान्त ही अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता/सेवायोजक के अंशदान की समेकित धनराशि निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 द्वारा ट्रस्टी बैंक (Bank of India) को NPS-Trust Account के पक्ष में **बैंक ड्राफ्ट/RTGS/ NEFT** द्वारा अन्तरित की जानी है।

'NPS-संरचना' में पंजीकरण के पूर्व कार्मिकों के वेतन से अंशदान की कटौती का संकलित विवरण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं कोषागारों द्वारा तैयार कर कार्मिकों के PRAN के साथ निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाना है। NPSCAN प्रणाली में नियमित अपलोड तथा निधियों का अन्तरण प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त उपरोक्त पूर्व में की गयी कार्मिकों के अंशदान की कटौतियों तथा नियोक्ता/सेवायोजक के अंशदान की संहत धनराशि, निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक (BOI) को एकमुश्त अथवा किस्तों में अन्तरित की जानी है।

नई पेंशन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु समस्त कोषागार सीधे निदेशक, पेंशन, उ०प्र० के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

अंशदान की धनराशियों का पेंशन निधि प्रबन्धकों (PFM) के मध्य आवंटन :

PFRDA द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रबन्धकों में से राज्य सरकार किसी ऐसे एक अथवा अधिक निधि प्रबन्धकों की सेवायें ले सकेगी जो नई पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

विभिन्न पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य पेंशन निधि के आवंटन (Allocation) का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा तद्नुसार NSDL, NPS-Trust एवं Trustee Bank को सूचित कर दिया जायेगा।

वर्तमान में सरकारी कार्मिकों हेतु भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया (UTI), पेंशन निधि प्रबन्धकों के रूप में PFRDA तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

दिनांक 01 जुलाई, 2011 से PFRDA द्वारा सरकारी कार्मिकों हेतु पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य पेंशन निधि के आवंटन के निर्धारित अनुपात का अनुसरण करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना के अभिदाताओं के लिए पेंशन निधि का आवंटन उक्त तीनों पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया है–

पेंशन निधि प्रबन्धक	पेंशन निधि का आनुपातिक प्रतिशत
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	**31.0**
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI)	**35.5**
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	**33.5**

भविष्य में PFRDA द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन किये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उसी अनुपात को अंगीकृत किया जायेगा।

अंशदान की धनराशि तथा उसे जमा कराने की प्रक्रिया : नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के वेतन आहरण एवं कटौती के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जानी है जो दिनांक 14 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 2(6) {सपठित शासनादेश संख्या– सा–3–1454/दस–2008–301(9)/2003, दिनांक 28 नवम्बर, 2008}, 2(7), 2(8) एवं 2(9) में दी गयी है परन्तु इन्डेक्स नम्बर के स्थान पर NSDL द्वारा आवंटित PRAN का उल्लेख किया जाना है। नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती कार्मिक द्वारा जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा जमा किया जायेगा।

उपर्युक्त कार्मिकों के वेतन बिल, अन्य कार्मिकों के वेतन बिल से अलग तैयार किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ पेंशन योजना के लिए आहरण की कटौती का निर्धारित प्रारूप (दिनांक 14 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञाप के अनुलग्नक–2क) पर शेड्यूल जो यथासंभव अलग रंग का होगा, दो प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। इस शेड्यूल (अनुलग्नक–2क) पर जिस लेखाशीर्षक से वेतन का आहरण हो रहा है उसे भी पूर्ण 15 डिजिट में अंकित किया जायेगा। शेड्यूल में नयी पेंशन योजना से आच्छादित अधिष्ठान के सभी कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ की जायेंगी भले ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा हो। वेतन बिल से पेंशन के अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लोक–लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक **"8342–अन्य जमा–117–सरकारी कार्मिकों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01 राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–राजकीय कार्मिकों का अंशदान टियर–1"** में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 अगस्त, 2008 में उल्लिखित 'अनुलग्नक–2(ख)' को वाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस पर अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2071–01–117–03–01–20** अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कार्मिक के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि के लिए वाउचर के रूप में प्रयोग किया जाना है। दोनों अनुलग्नक क्रमशः '2(क)' और '2(ख)' की दो–दो प्रतियाँ वेतन बिल के साथ संलग्न की जायेंगी तथा शेड्यूल एवं वाउचर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

उक्त शेड्यूल (अनुलग्नक–2(क)) की कार्मिकवार प्रविष्टि कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक **8342–00–117–01–01** के टियर–1 खाते में कटौती स्वरुप जमा धनराशि के रूप में की जानी है। कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2008 के 'अनुलग्नक–2(क)' जो कि कार्मिक के अंशदान के सम्बन्ध में शेड्यूल है तथा 'अनुलग्नक– 2ख' जो कि सेवायोजक के अंशदान के सम्बन्ध में वाउचर है, की हार्ड कापियों के साथ सॉफ्ट कापी भी उपलब्ध करायी जानी है।

वाह्य सेवायोजको द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित शेड्यूल (2(क)) पर कार्मिकवार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्ट करते हुए निदेशक पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जाना है। निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के पेंशनरी अंशदान से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट शेड्यूल (2(क)) के साथ कोषागार में जमा किया जायेगा। सेवायोजक अंशदान जमा करने के लिए निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 द्वारा अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **2071–01–117–03–01–20** पर सम्बन्धित देयक बनाकर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ को प्रेषित किया जाना है।

ऐसे वाह्य सेवायोजक, जिनके द्वारा शासनादेश संख्याः जी–1–885/दस–2006–534(11)–93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के अनुसार वाह्य सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक के अंशदान की धनराशि शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2008 के अनुलग्नक 2(क) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक 2(ख) सहित (चाहे वाह्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित हो या बाहर) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक भेजा जाना है। उक्त बैंक ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्षक–8342 में जमा करने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की जानी है।

यदि किसी कार्मिक से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती "शून्य" दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना है।

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ संलग्न किये गये शेड्यूल में से एक प्रति को यथास्थिति कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग कवर में प्रत्येक माह के लेखों के साथ निदेशक पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजा जाना है। बाह्य सेवायोजको द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य कार्मिकों के शेड्यूल (यथास्थिति अनुलग्नक–2(क) अथवा–2(ख)) की एक–एक प्रति अगले माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जानी है।

नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए कार्मिक के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार का अंशदान (ऐसी बाह्य सेवावधि के लिए भी जिसके सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के अनुसार बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) लेखाशीर्षक "2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान–03 राज्य सरकार का अंशदान–01 –राजकीय कर्मचारी–टियर–I–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" को डेबिट कर बुक ट्रांसफर द्वारा लेखाशीर्षक **"8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–02–राज्य सरकार/नियोक्ता का अंशदान–टियर–I"** में जमा किया जाना है।

कार्मिक का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतया जिस माह के लिए कार्मिक का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, भले ही वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो। लेकिन PRAN आवंटित होने के पूर्व की अवधि के अवशेष अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिस माह अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया गया हो अथवा जिस माह के अंशदान के रूप में कार्मिक का अवशेष अंशदान वेतन से काटकर जमा किया गया हो। उदाहरणस्वरूप यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक अंशदान के साथ वेतन से काटकर जमा किया जाता हे तो राज्य सरकार का अंशदान दिनांक 01 अक्टूबर को जमा माना जायेगा।

ऐसी वाह्य सेवा के लिए जिस हेतु शासनादेश संख्याः जी–1–885/दस–2006–534(11)/93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के अनुसार पेंशन अंशदान देय नहीं है, वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक का बैंक

ड्राफ्ट द्वारा जमा अंशदान भी जिस माह के वेतन से काटा हो, उसके अगले माह की पहली तिथि को जमा हुआ माना जायेगा।

अभिदाताओं द्वारा टियर–II में किये जाने वाले अंशदान की कटौती की राशि बुक ट्रांसफर द्वारा लेखाशीर्षक **"8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान–टियर–II"** में जमा की जानी है। उक्त टियर–II खाते में राज्य सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाना है। टियर–II में से धनराशि का निष्कासन सम्बन्धित कार्मिक (अभिदाता) के विकल्प पर अनुमन्य होगा।

स्थानान्तरण के समय अन्तिम वेतन प्रमाणक (LPC) में अंशदान कटौती का उल्लेख

स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC) में उसके PRAN सहित इस स्थिति का उल्लेख किया जाना है कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष है तो उसे अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा। उक्त अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी होगी। निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्मिक की नयी तैनाती के जनपद के कोषागार से उक्त कार्मिक के अंशदान की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

नई पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समय सारणी

(i)	माह में खोले गये नये PRANs की आहरण एवं वितरण अधिकारीवार सूचना कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 को उपलब्ध करानी है–	अगले माह की 10वीं तारीख तक।
(ii)	माह में कोषागारों द्वारा की गयी अभिदाता के अंशदान की कटौतियों का आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संहत विवरण कोषागारों द्वारा निर्धारित इनपुट प्रारूप पर ई–मेल तथा हार्ड कापी में निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 को उपलब्ध करानी है–	अगले माह की 10वीं तारीख तक।
(iii)	कोषागारों द्वारा माह में NPSCAN पर अपलोड किये गये विवरण के सम्बन्ध में, निदेशक, पेंशन द्वारा NSDL से कोषागारवार, आहरण–वितरण अधिकारीवार अभिदाता–अंशदान की सूचना प्राप्त की जानी है–	अगले माह की 10वीं तारीख के पूर्व ही।
(iv)	किसी माह के लिए कोषागारों एवं NSDL द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित सूचनाओं का मिलान निदेशक, पेंशन द्वारा पूरा कर लिया जाना है–	अगले माह की 15वीं तारीख तक।
(v)	अभिदाता अंशदान एवं सेवायोजक अंशदान की धनराशियों का अन्तरण निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक को किया जाना है–	उपरोक्त क्र० (iv) में उल्लिखित तिथि से तीन दिनों के अन्दर अर्थात अगले माह की 18वीं तारीख तक।

गैरसरकारी कार्मिकों हेतु नई पेंशन योजना

नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना सम्बन्धी अधिसूचना सं0–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 के क्रम में ऐसी सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थायें एवं शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन योजना लागू है और जिसका वित्त पोषण उ0प्र0 समेकित निधि से किया जाता है, में भी नयी पेंशन योजना शासनादेश सं0 सा–3–1124/दस–2010–301 (9)–2003 टीसी, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 (सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु) तथा शासनादेश संख्या सा–3–1538/दस–2010–301(9)/2003 टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु) द्वारा लागू कर दी गयी है। इन दोनों शासनादेशों में लगभग वहीं व्यवस्था एवं प्रक्रिया वर्णित है जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–सा–3–1051/दस–2008–301(9)/2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 तथा तत्क्रम में शासनादेश सं0– सा–3–

1454/दस–2008–301(9)/2003, दिनांक 28 नवम्बर, 2008 उल्लिखित है। अन्तर मात्र लेखाशीर्षकों, अंशदान की कटौती सम्बन्धी शेड्यूलों की प्रपत्र संख्या तथा लेखें के रख–रखाव हेतु दायित्व निर्धारण आदि में ही है।

NSDL एवं NPS-ट्रस्ट के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनुबन्ध निष्पादित हो जाने के बाद राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश संख्या सा–3–1067/दस–2011/301(9)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा निदेशक, पेंशन, उ०प्र० द्वारा इन संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु अब इन्डेक्स नम्बर जारी नहीं किये जायेंगे।

एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 सा–3–1613/दस–2011–301(9)/2011, दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 में व्यवस्था की गयी है।

...और अंत में

केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की भाँति अनेक राज्य सरकारों ने भी उपरोक्त वर्णित नवपरिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना को विभिन्न तिथियों से अपने–अपने यहाँ लागू किया है। ऊपर विस्तार से वर्णित NPS–संरचना को दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से केन्द्रीय सरकार के पात्र कार्मिकों के हित में परिचालित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में प्रगतिशील है। यही नहीं भारत सरकार ने तो नई पेंशन योजना को दिनांक 01 मई, 2009 से सम्पूर्ण भारत के समस्त नागरिकों हेतु खोल दिया है। अब सरकारी कार्मिक ही नहीं अपितु कोई भी इस योजना में एक PRAN (स्थाई 'रोजगारनिवृत्ति' लेखा संख्या) खोलकर अपनी वृद्धावस्था के लिए सामजिक सुरक्षा एवं आवर्तक आय सुनिश्चित कर सकता है। पेंशन निधियों का निवेश PRAN धारकों के सक्रिय/स्वचालित विकल्पों (Active/Auto Choices) पर निर्दिष्ट पेंशन निधि प्रबन्धकों (PFMs) द्वारा तीन परिसम्पत्ति वर्गों (Asset Class)–इक्विटी ("E"), सरकारी प्रतिभूतियों ("G") एवं क्रेडिट विपत्रों ("C") के तीन भिन्न संयोजनों में किया जाएगा। पुरानी 'लाभ पेंशन योजना' और 'नई पेंशन योजना' में सबसे बड़ा अन्तर ही यही है कि पुरानी पेंशन योजना में पेंशन की राशि जहाँ आजीवन एक सी रहती थी वहीं नई पेंशन योजना में पेंशन की राशि अभिदाता के अंशदान एवं उपरोक्तवर्णित विवेकपूर्ण निवेश–पोर्टफोलियो के अनुसार पर्याप्त अधिक भी हो सकती है। इस प्रकार देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय स्वाधीनता जहाँ एक साध्य है वहीं नई पेंशन योजना उसकी सम्प्राप्ति का एक सबल साधन हो सकता है। भविष्य में इस योजना के अन्य आयामों और पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ने की सम्भावना है।.........

●

Disclaimer :–

यह लेख उ०प्र० सरकार के कार्मिकों के मात्र मार्गदर्शन हेतु है। नियमों/व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं आदि की विस्तृत जानकारी हेतु सन्दर्भित अधिसूचनाओं एवं शासनादेशों के साथ–साथ वित्त विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण/नियम आदि का अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त लेख के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति किसी पाठक को होती है तो उसके लिये लेखक, संस्थान, सम्पादक मण्डल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।